



2026:AHC:32448

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2210/2026

मुन्नी देवी

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: इरफ़ान अहमद मलिक

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री इरफ़ान अहमद मलिक और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 16.12.1984 को पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था, वर्ष 2016 में उसे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया, और 30.04.2022 को वह सेवानिवृत्त हो गई। रिट याचिकाकर्ता का यह कहना है कि वेतन-निर्धारण रिट याचिकाकर्ता के अहित में किया गया है, क्योंकि इसे 60,400/- रुपये से घटाकर 55,200/- रुपये कर दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के अहित में एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का अधिनिर्णयन सर्वप्रथम प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे; जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 3, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, कानून के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"